छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

कमांक / एफ 5-22 / 2016 / 10-2

रायपुर,दिनांक 3ॄ / 03 / 2017

प्रति.

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (क्षे0), भारत सरकार, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ग्राऊंड फ्लोर (ईस्टर्न विंग), न्यू सेक्रेटेरियेट बिल्डिंग, व्ही.सी.ए. स्टेडियम के सामने सिविल लाईन, नागपुर (महाराष्ट्र) ।

Diversion of 153.448 ha. forest land in favour of Power Grid Corporation of India Ltd. Raigarh for construction of 765 KV D/C (Hexa) Jharsuguda - Dharamjaygarh Transmission Line in the District of Raigarh in the State of Chhattisgarh.

संदर्भः— 1. आपका पत्र क्र. FC-III/CH-09/2016-NGP/919 दिनांक 03.10.2016।

2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू—प्रबंध) का पत्र क्रमांक/भू—प्रबंध/विद्युत/ 479—135/780, दिनांक 22.03.2017।

---00---

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र क्र. 1 द्वारा वांछित अतिरिक्त जानकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू—प्रबंध) के संदर्भित क्र. 2 के माध्यम से आपको प्रेषित की गई है। उक्त जानकारी की छायाप्रति पत्र के साथ संलग्न प्रेषित है।

2/- आदेशानुसार निवेदन है कि, विषयांकित प्रकरण में प्रथम चरण की अनुमित प्रदाय करने का कष्ट करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(एम.स्न.पाजूरकर) अवर सचिव

छत्तीसगढ शासन, वन विभाग रायपुर,दिनांक /02/2017

पृष्ठां.क्रमांक / एफ 5—22 / 2016 / 10—2 प्रतिलिपि :—

- 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध), रायपुर।
- 2. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
- 3. वनमंडलाधिकारी, रायगढ़, वनमंडल रायगढ़, छत्तीसगढ़।
- आवेदनकर्ता महाप्रबंधक पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड रायगढ़ ।
 की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

अवर सचिव छत्तीसगढ शासन, वन विभाग

D/FCA/ Latter-N/Verma

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ, अरण्य भवन, मेडिकल कॉलेज रोड़, रायपुर (अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू-प्रबंध)

दूरभाषः 0771 — 2552233

ई - मेलः apccf-lm.cg@gov.in

क्र0/भू-प्रबंध/विद्युत/ 479-135/780 प्रति

रायपुर, दिनांक 22/03/2017

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय)

भारत सरकार - पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जांक ... 3013

क्षेत्रीय कार्यालय – वेस्ट सेन्ट्रल रीजन ईस्टर्न विंग — भू तल, न्यू सेक्रेटेरियेट भवन

VCA के सामने, सिविल लाईन

नागपुर - 440001

विषय:

Diversion of 153.448 ha. forest land in favour of Power Grid Corporation of India Ltd. Raigarh for construction of 765 KV D/C (Hexa) Jharsuguda -Dharamjaygarh Transmission Line in the District of Raigarh in the State of Chhattisgarh.

पंजीयन क्रमांक/FP/CG/Trans/ 8080 / 2014

संदर्भः

- 1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर का पत्र क्रमांक FC-III/CH-09/2016-NGP/ 919 दिनांक 03.10.2016
- मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त का पत्र क्रमांक / तक / 2492 दिनांक 31.12.2016 2.
- मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त का पत्र क्रमांक / तक / 770 दिनांक 09.03.2017

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें।

संदर्भित पत्र — 1 द्वारा भारत सरकार (MoEF&CC), क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर द्वारा 08 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी चाही गई थी।

संदर्भित पत्र – 2 एवं 3 के माध्यम मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त द्वारा बिन्दुवार जानकारी प्राप्त हुई है जो निम्नानुसार है:-

क्र.	विवरण	निराकरण
2	Forest patch wise density of all patches involved in the proposal has not been provided in the proposal.	घनत्व की जानकारी संलग्न है। (अनुलग्नक–01)
2	Examination of kml/shape files, it is revealed that out of 9 patches indentified for CA, 4 patches were observed to be unsuitable as 3 patches appears to have density more than 40% (1 in Dharamjaygarh (OA No. 1445), 2 in Korba (OA No. 1465 and J443) while part of 1 patch in Raigarh (964P) appears to be encroachment (agriculture). Further, as per the provision of the component of CA scheme, the State Government has incorporated the provision of protection for 10 years. However, the provisions further needs to be elaborated to confirm if the provision of protection incorporates watchmen and fencing also.	रायगढ़ वन मंडल कक्ष कमांक 964 पी में.16.00 हेक्टेयर अतिकमित भूमि के स्थान पर कक्ष कमांक 933 पी में 16.00 हेक्टेयर नई वैकल्पिक क्षतिपूर्ति सिंचित वृक्षारोपण हेतु नई भूमि प्रस्ताव तैयार कर DGPS रिपोर्ट (KML, Shape file) की CD संलग्न है। <u>धरमजयगढ़ वन मंडल</u> कक्ष कमांक ओ.ए 1445 एवं ओ.ए 1468 को वन मंडलाधिकारी, कोरबा वन मंडल द्वारा स्थल निरीक्षण किया जांकर ओ.ए 1445 अधिक घनत्व के कारण एवं ओ. ए 1468 में अतिक्रमण / अनुपयुक्त पाये जाने के कारण वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उक्त प्रस्तावित क्षेत्र को निरस्त किया गया है। उसके स्थान पर जांजगीर—चांपा वन मंडल में निम्नानुसार स्थान चयन किया गया है:—

क्रमश:-2

		क	कक्ष क	वनमण्डल	परिक्षेत्र	प्रस्तावित
					का नाम	रकबा हे
		1	RF80	जांजगीर-चांपा	बलोदा	30.902
1	,	2	RF80	जांजगीर-चांपा	बलोदा	36.509
		योग				67.411
			ा वन मंड	ল		
		क्षतिप	र्ति वक्षार	— पण के लिये	चयनित र	थल कक्ष
		क्रमां	ō OA-14	43 एवं OA-14	.65 को अधि	क घनत्व
		के व	जरण वन	मंडलाधिकारी,	कोरबा वनम	ंडल द्वारा
		स्थल	निरीक्षण	किया जाकर वि	नेरस्त किय	गया है।
		ससर्व	र्राम	पर निम्नानुसार	र स्थान च	यन किया
		गया		3		
		a	कक्ष क	वनमण्डल	परिक्षेत्र का	प्रस्तावित
			74, 7		नाम	रकबा हे
		1	RF62	जांजगीर–	बलोदा	40,409
		1	RF02	चाम्पा		
		1	014467	कोरबा	करतला	12.749
		2	OA1467	कारवा	47(((())	53.158
		योग				w.1x
					र केट जाग	ਜ਼ੁਜ਼ ਵੈ ਸ਼ੁਰੂ
		उक्त	उक्त प्रस्तावित क्षेत्र वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है एवं वैकल्पिक वृक्षारोपण प्रस्ताव तैयार कर DGPS रिपोर्ट			तरा ६ ५५ nc जिपोर्ट
		वकार				
		(KML, Shape file) की CD संलग्न है। 10 वर्षीय उच्च तकनिकी वैकल्पिक क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (सिंचित) योजना तैयार किया गया है				
		1	जिसमें बारबेड वायर फेसिंग एवं सुरक्षा का प्रावधान रखा गया है। (अनुलग्नक—02)			
		-			-	ंक्स क्रांग
3	Land identified for raising CA is free from	1		रि—चांपा ए वं व		
	encroachment has not been certified by the	नहीं नहीं		पण हेतु उपय् का प्रमाण	3वतता ९५ पत्र संल	
	DCFs concerned.	1 -	रुग नग्नक—03		47 100	1) 61
	Examination of the proposal submitted			<u>।</u> घिनियम 1 9 80	के तरत	ਰਜ ਪੁਧਿ
4	online revealed that complete documents	1	12	त्वानवन 1 3 60 स्ताव के संबंध		
	i.e. annexure referred in the part-II have not			रताय <i>प</i> ्र रायय गग्नक—04)	1 (Killiak	1 111-11
	been uploaded. The same needs to be	, cici	10 10131	1-14-04)		
	uploaded. Revised Part-II may be submitted					
	without giving any references along with					
	the field inspection notes and reasons for					
	recommending the projects.					
	CCF, Bilaspur has mentioned that RoW be	The	area to	be felled und	ler each o	onductor
	reduced from 10m to 3m, however, as per	1		sed to 10 m,		
5	guidelines RoW for 765 kV line is 10m,	develop grass land equivalent to double the area of felling with in RoW or catchment area				
	therefore, the State Government/CCF may					
	convey its considered opinion on the matter	1		on line in or		
	that in case the RoW is not reduced, the		rity to wi		-	
	proposal stands recommending or not.		•			
6	KML files pertaining to the CA have not	भारत	सरकार	पर्यावरण, वन	एवं जलवारा	परिवर्तन
8	been uploaded properly. As assessed on the			देल्ली के बेवस	_	समस्या
	website of the MoEF &CC on 01.10.2016,	3		कर समस्त अ		
	only 5 kml files pertaining to the Raigarh	1	गया है।			5140116
	Forest Division have been uploaded while		01			
1	r Proce 2017 - dae	1				
34						क्रमश:-3
-						

1		unloading the	
		uploading the same files has been repeated	,
		in case of Korba and Dharamiaygarh	w.
	İ	Divisions. The correct kml files needs to be	
		uploaded in respect of CA area identified in	
	•	Korba and Dharamjaygarh Divisions.	
	7	KML files for 30 patches of the forest land	सभी 30 वन कक्षों का एकल .kml फाईल तैयार
		involved in the proposal have been	कर CD संलग्न है। (अनुलग्नक–05)
		submitted. However, single KML file for	are content of (sign 142 65)
		the entire stretches of the transmission line	· •
		may be submitted for the ease of analysis of	
	*	the forest area using decision support	
		system.	
+			
	8	The total forest area mentioned in the	प्रस्तावित वन भूमि क्षेत्र का कुल 153.448 हेक्टर =
		certificates of the concerned District	(जिला रायगढ़ का 126.869 हेक्टर (+) जिला
		Collectors issued under the Scheduled	कोरबा का 26.5789 हेक्टर) संशोधित वन अधिकार
		Tribes and Other Traditional Forest	मान्यता प्रमाण पत्र संलग्न है।
		Dwellers (Recognition of Forest Rights)	
		Act, 2006 is 166.007 ha while diversion is	अनुभाग स्तरीय समिति जिला कोरबा की
		sought only for 153.448 ha. The	कार्यवाही विवरण की छायाप्रति संलग्न है।
		discrepancy in the area may be justified by	(अनुलग्नक–06)
		the State Government. Further, records of	
		the consultations/meetings of the sub-	
		divisional level committee in Korba District	
		have not been submitted along with the	
		proposal.	
ᆫ			

उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन को मान्य करते हुए प्रकरण में प्रथम चरण स्वीकृति जारी किये जाने का कष्ट

करें। संलग्न :--

उपरोक्तानुसार

अप्रत 3012 वह 22/3 (मुदित कुमार सिंह) अ.प्र.मु.व.स (भू – प्रबंध / व. सं. अ) छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू-प्रबंध/विद्युत/479-135/781 प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः रायपुर, दिनांक 22/03/2017

्र. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर। संलग्नः—उपरोक्तानुसार

2. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

3. वन मंडलाधिकारी, रायगढ़ वन मंडल, रायगढ़, छत्तीसगढ़।

4. **महा प्रबंधक**, पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ग्राम एवं पोस्ट कोतरा, नन्देली मार्ग, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़।

वर्तमान् में किसी भी प्रकार की वन भूमि में कार्य प्रारंभ करने की अनुमति नहीं है।

अ.प्र.मु.व.स (भू – प्रबंध / व. सं. अ) छत्तीसगढ़